

फर्द अहकाम
 न्यायालय Aem-21 तनिष् सिंघ बनाम सुरिन्द सिंघ
 दिनांक 86/2014


आज्ञा विरत रूप से
 एष्य कि जिनके लीक करि
 दिवु मेव किपा न ग्रापहित मे
 प्रथो वा प्रथेना फर लीकार
 किपा आकर अपार्थो नं 6 फर
 नगर एष्य किपा जाता है
 फगवली वा अवलोकन किपा जप
 अवलोकन है आरि है कि वरीर
 अपार्थो को जवाब नां है 6 अवर
 है कि उपरांत की आदिनांत
 जवाब नां पेश मही किपा है
 अतः अपार्थो लरुपा 1 ता. 5 के
 जवाब ली-आरि वा अवसर के
 किपा जाता है प्रथेना फर आरथी
 निवेदाज्ञा फर प्रथेना को लुपलीप
 बरुप हुनी गरी वरुप फर फर
 लुपलीप हुनी आर फगवली
 फर मय दस्तावेजात व मुलवाड
 अवलोकन किपा गपा अनलोकन
 है आरि है कि वरुप आरथी
 प्रथो को पेंड आरथी है कि
 इसका मिस्तारण मुलवाड
 में साक्ष्य लेवर शुजावगुण है
 आधार पर किपा जाना है
 तब तक वरुप आरथी को
 G.W.



सहायक कलर एवम् कार्यपालक
 मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम
 न्यायालय Aem-21 तनिष् सिंघ बनाम सुरिन्द सिंघ
 दिनांक 86/2014

आज्ञा विरत रूप से
 संरक्षित लीक करिना आवरुपक
 समरि है किसे वाड वाहुल्यता
 न को अतः प्रथो को प्रथेना फर
 लीकार किपा आरु 2 हराड
 निवेदाज्ञा को कुपली किपा जाता
 है तथा 3 प्रथो एवम् अपार्थीगण
 को तर्पसल मुलवाड पावंड किपा
 जाता है कि वरुप आरथी
 अवरुप नंबर 138 ररुपा 0-17 है
 1169 ररुपा 0-84 है जेमेर वरुप
 कुपली सांघरिप तल्ली सांघरि
 जपुप कि जपुप एवम् रिपोर्ट
 की मथादिवात वनाये ररुप
 फगवली फसल शुमार होकर ररुप
 नंबर से वरुप लेवर सेलन मुलवाड
 है कि निर्णय आर डिमांड 23/05/18
 को लोड अदालत/केम कोर वरुप
 वरुप में किपा आर सरि
 इजलास हुनापा जपुप
 G.W.



सहायक कलर एवम् कार्यपालक
 मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वितीय